

11 April

सामाजिक मुद्दे

भारत में दहेज उत्पीड़न व बाल-विवाह की वर्तमान स्थिति

दहेज उत्पीड़न

संदर्भ-

- सुप्रीम कोर्ट ने 09 अप्रैल 2019 को एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि ससुराल में उत्पीड़न की शिकार महिला मायके से या जहां वह शरण लिये हुए है वहां से भी मुकदमा दायर करा सकती है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश में मुख्य बिंदु:

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रूरता के कारण ससुराल से बाहर कर दी गयी महिला आरोपियों के खिलाफ उस स्थान पर भी मामला दर्ज करा सकती है, जहां वह शरण लेने के लिए मजबूर है।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीड़ित महिला भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498-ए के तहत अपने आश्रय स्थल या मायके में अपराधिक मुकदमा दर्ज करा सकती है। दरअसल, अभी तक महिला को उसी जगह मुकदमा दायर कराना पड़ता था, जहां उसकी ससुराल है।
- कोर्ट ने धारा 498-ए की व्याख्या करते हुए कहा कि इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों प्रताड़नाएं शामिल मानी जाएंगी।
- कोर्ट ने कहा कि 498-ए में दी गई क्रूरता की परिभाषा के मद्देनजर ससुराल द्वारा सताई गई महिला के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

क्या था मामला

- उत्तर प्रदेश में एक महिला ने अपने मायके आ कर पति के खिलाफ मानसिक और शारीरिक यातना देने का मुकदमा दर्ज कराया था। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसे यह कह कर खारिज कर दिया कि कानून के मुताबिक ये मामला मायके में दर्ज हो ही नहीं सकता था। ये मुकदमा उसे अपने ससुराल में दाखिल करना चाहिए था क्योंकि उसे यातना ससुराल में मिली।
- सीआरपीसी के सेक्शन 177 के मुताबिक कोई भी अपराधिक मामला उसी जगह दर्ज हो सकता है जहां वह घटना घटी है।
- दरअसल न्यायालय इस संदर्भ पर विचार कर रहा था कि क्या आईपीसी की धारा 498-ए के तहत दहेज उत्पीड़न की सजा पर क्रूरता का मामला उस जगह दर्ज किया जा सकता है, जो जांच और आरोपी की सजा के अधिकार क्षेत्र वाले जगह से अलग हो।

498-A क्या है?

- परिवार में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की प्रमुख कारणों में से एक दहेज के खिलाफ है कानून की इस धारा को आम भाषा में 'दहेज के लिए प्रताड़ना' के नाम से भी जाना जाता है।
- 498-ए की धारा में पति या उसके रिश्तेदारों के ऐसे सभी व्यवहार को शामिल किया गया है जो किसी महिला को मानसिक या शारीरिक नुकसान पहुँचाने या उसे आत्महत्या करने पर मजबूर करें।
- दोषी पाये जाने पर इस धारा के तहत पति को अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान है।

क्या था सुप्रीम कोर्ट का पुराना निर्देश?

- इसमें 498-ए के तहत महिला की शिकायत आने पर पति और ससुराल वालों की तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई थी।
- इनमें सबसे अहम निर्देश है कि पुलिस ऐसी किसी भी शिकायत पर तुरंत गिरफ्तारी नहीं करेगी। महिला की शिकायत सही है या नहीं, पहले इसकी जांच होगी। जांच तीन लोगों की एक अलग नई समिति करेगी। यह समिति पुलिस की नहीं होगी।
- वैसे निर्देश में ये भी कहा गया था कि इस समिति की रिपोर्ट को मानना शिकायत की जाँच कर रहे अफसर या मजिस्ट्रेट

पर लाजिमी नहीं होगा।

- लेकिन महिलाओं के हक के लिए बने इस कानून को पुरुष विरोधी बताया जा रहा है।
- इसलिए कोर्ट में ये मामला पहुँचा ताकि पुरुषों के खिलाफ इसका दुरुपयोग न हो।
- महिला अधिकारों के लिए काम करने वालों ने पिछले साल के निर्देश का विरोध करते हुए दलील दी थी कि आज तक इसके आंकड़े सामने नहीं आये कि कितने मामलों में 498-A का दुरुपयोग हुआ है।

दहेज निषेध अधिनियम, 1961

भूमिका

- दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के अनुसार दहेज लेने, देने या इसके लेन-देन में सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।
- दहेज के लिए उत्पीड़न करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए जो कि पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा सम्पत्ति अथवा कीमती वस्तुओं के लिए अवैधानिक मांग के मामले से संबंधित है तथा इसके अंतर्गत 3 साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान है।
- दहेज एक सामाजिक समस्या है जिसका उन्मूलन तभी हो सकता है जब हम संकल्पपूर्वक इसके विरुद्ध कदम उठाएं।
- दहेज से संबंधित किसी भी कानून को प्रभावी बनाने के लिए सरकार को अपनी पहल पर कदम उठाने होंगे।

दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के महत्वपूर्ण प्रावधान

- दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 2 को 1984 और 1986 में संशोधित किया गया जिसमें दहेज को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है:-
- “दहेज” का अर्थ है प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर दी गयी कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति सुरक्षा या उसे देने की सहमति”।
- विवाह के एक पक्ष के द्वारा विवाह के दूसरे पक्ष को; या
- विवाह के किसी पक्ष के अभिभावकों द्वारा; या
- विवाह के किसी पक्ष के किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को;
- शादी के वक्त, या उससे पहले या उसके बाद कभी भी जो कि उपरोक्त पक्षों से संबंधित हो जिसमें मेहर की रकम सम्मिलित नहीं की जाती, अगर व्यक्ति पर मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत) लागू होता हो।
- मुख्य विधि में मौजूद कमियों को दूर करने के लिए दहेज निषेध अधिनियम में संशोधन किये गये। महिला एवम बाल विकास मंत्रालय दहेज निषेध अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों में और बदलाव करना चाह रही है ताकि दहेज निषेध कानूनों को और अधिक सशक्त बनाया जा सके।
- 2009 में राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस अधिनियम में कुछ परिवर्तन प्रस्तावित किये थे। इन सिफारिशों पर एक अंतर-मंत्रालयी बैठक में विचार-विमर्श किया गया और विधि एवम न्याय मंत्रालय के परामर्श से दहेज निषेध (संशोधन) विधेयक 2010 की रूपरेखा तैयार की गयी-
- घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के लिए नियुक्त किये गए सुरक्षा अधिकारियों को दहेज सुरक्षा अधिकारियों के दायित्व भी निभाने के लिए अधिकृत किया जाए।
- महिला जहाँ कहीं भी स्थायी या अस्थायी तौर पर रह रही है वहीं से दहेज की शिकायत दर्ज करने की अनुमति दी जाए।
- स्वैच्छिक तौर पर दिए गये “उपहारों” और दबाव या मजबूरी में आकर दिए गये उपहार में साफ अंतर किया जाना चाहिए।

दहेज की मांग के लिए जुर्माना-

- यदि किसी पक्षकार के माता पिता, अभिभावक या रिश्तेदार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दहेज की मांग करते हैं तो उन्हें कम से कम छः मास और अधिकतम पाँच वर्ष के कारावास की सजा तथा पंद्रह हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता है।
- यदि कोई दहेज विवाहिता के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति द्वारा धारण किया जाता है तो दहेज प्राप्त करने के तीन माह के भीतर या महिला के नाबालिग होने की स्थिति में उसके बालिग होने के एक वर्ष के भीतर उसे अंतरित कर देगा।

- यदि घटना से एक वर्ष के अंदर शिकायत की गयी हो तो न्यायालय पुलिस रिपोर्ट या पीड़ित द्वारा शिकायत किये जाने पर अपराध का संज्ञान ले सकेगा।
- देहज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी जो बनाये गये नियमों का अनुपालन कराने या दहेज की मांग के लिए उकसाने या लेने से रोकने या अपराध कार्य करने से संबंधित साक्ष्य जुटाने का कार्य करेगा।
- **फैसले का प्रभाव-** सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उन बहुत सी महिलाओं को राहत मिलेगी जो सताए जाने के कारण ससुराल छोड़कर मायके आ जाती हैं।
- पीड़ित महिलाएं जिनका मायका ससुराल से दूर किसी और राज्य में स्थित है तो वे अपने मायके में ससुराल वालों के खिलाफ प्रताड़ना का आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं करा पाती थीं लेकिन अब पीड़ित महिलाएं सताए जाने के कारण ससुराल छोड़कर मायके या किसी और जगह शरण लेने वाली महिला जहां शरण लेगी वहीं ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकती हैं।

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
 1. आईपीसी की धारा 498-ए में शारीरिक व मानसिक दोनों प्रताड़ना शामिल है।
 2. सीआरपीसी की धारा 177 के अनुसार कोई भी आपराधिक मामला उसी जगह दर्ज हो सकता है जहां वह घटना घटी हो।
 उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
 - (a) केवल 1
 - (b) केवल 2
 - (c) 1 और 2 दोनों
 - (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर (c)

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न- कानूनी रूप से अपराध के श्रेणी में होने के बावजूद दहेज की सामाजिक स्वीकार्यता है। इस कथन की समीक्षा कीजिए।

बाल-विवाह

- हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किये गये एक अध्ययन के अनुसार भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में से एक त्रिपुरा बाल विवाह के मामलों में देश में दूसरे स्थान पर है। अध्ययन के अनुसार त्रिपुरा में 15 से 19 वर्ष की बालिकाओं की शादी के मामले देखे गये हैं।
- इस अध्ययन का शीर्षक 'यंग लाइव्स-एन इंटरनेशनल स्टडी ऑन चाइल्डहुड पॉवर्टी' है जिसमें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2015-16) का हवाला दिया है। इसमें कहा गया है कि राज्य में होने वाले सभी बाल विवाह के मामलों में 80 प्रतिशत विवाह तीन जिलों के स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं। यह अध्ययन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक टीम द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है।

मुख्य बिंदु

- अध्ययन के अनुसार 15 से 19 आयु वर्ग की बालिकाओं के बाल विवाह का राष्ट्रीय औसत 11.9 प्रतिशत है किंतु त्रिपुरा के लिए यही आंकड़ा 21.6 प्रतिशत का है।
- इस अध्ययन से यह बात भी सामने आई है कि देश के 100 जिलों में से त्रिपुरा के चार ऐसे जिले शामिल हैं जहां बाल विवाह अत्यधिक प्रचलन में हैं।
- रिपोर्ट में यह भी तथ्य सामने आया है कि त्रिपुरा के धलाई जिले में बाल विवाह की दर 24.7 प्रतिशत है, जो राज्य में सबसे अधिक है। बाल विवाह के उच्च प्रसार वाले अन्य जिलों में दक्षिण त्रिपुरा, उत्तरी त्रिपुरा और पश्चिम त्रिपुरा शामिल हैं।
- किशोरावस्था में मां बनने वाली लड़कियों से पैदा होने वाले बच्चों की संख्या के विश्लेषण पर यह देखा गया है कि 52 प्रतिशत विवाहित किशोर लड़कियों ने कम से कम एक बच्चे को जन्म दिया है।
- इनमें 5.5 प्रतिशत लड़कियों ने कम से कम 2 बच्चों को जन्म दिया था और एक प्रतिशत में 2 अधिक बच्चे थे।

भारत में बाल विवाह की स्थिति

- नेशनल फैमिली वेल्थ सर्वे-4 (2015-16) के अनुसार, देश में बाल विवाह की औसत दर 11.9% है। हिमाचल प्रदेश और मणिपुर में आंकड़ों में कुछ वृद्धि जरूर दर्ज की गई है।
- एनएफएचएस 3 (2005-06) के आंकड़ों से एनएफएचएस-4 (2015-16) के आंकड़ों में उत्तर प्रदेश के आंकड़ों में काफी सुधार हुआ है। उत्तर प्रदेश में 29 फीसदी से दर कम होकर सिर्फ 6.4 फीसदी ही रह गया है। पश्चिम बंगाल में भी सुधार हुआ है, लेकिन अपेक्षाकृत कम है। बंगाल में 34 फीसदी से यह कम होकर 25.6 फीसदी रह गई है।

बाल विवाह के संबंध में कानूनी प्रावधान

- बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह दंडनीय अपराध है। इसमें 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों का विवाह करने पर दो साल की जेल और एक लाख रुपये का जुर्माने का प्रावधान है। ऐसे विवाह में हिस्सा लेने वाले लोगों पर भी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।